सं. डब्ल्यू 02/0036/2018-लोउवि(डब्ल्यू सी)- जी. एल. XIX/18

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 10 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- सीपीएसईज़ के कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) का भुगतान – स्पष्टीकरण संबंधी।
*****

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 03.08.2017 के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू – 02/0028/2017-डीपीई (डब्ल्यूसी) जी एल – XIII/17 जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ आई डी ए पैटर्न के वेतनमान पर सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए 01.01.2017 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने का प्रावधान किया गया है और दिनांक 11.04.2018 के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू – 02/0020/2018- डीपीई (डब्ल्यू सी) -जी एल – XII/18 जिसमें उपदान (ग्रेच्युटी) भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के बारे में सूचना दी गई है जो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने और प्रभावी तारीख अर्थात 29.03.2018 के संबंध में है, का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. इस विभाग में विभिन्न स्टेकहोल्डरों से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को बढ़ाने की प्रभावी तारीख पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार मामले पर विचार किया गया है और इसका स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

(क) दिनांक 03.08.2017 के डीपीई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत, आई डी ए वेतन पैटर्न पर सीपीएसईज़ के कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के संबंध में 01.01.2017 से 28.03.2018 तक की अवधि के लिए ग्रेच्युटी की अदायगी, संबंधित सीपीएसईज़ की **वहनीयता** के अध्यधीन है जहां वेतन में 01.01.2017 से संशोधन किया गया है।

(ख) जबकि, 29.03.2018 को और उसके बाद, 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी की अदायगी करना सभी सीपीएसईज़ के लिए **अनिवार्य** है चाहे वे इसे वहन कर पाएं या नहीं क्योंकि ग्रेच्युटी अदायगी अधिनियम, 1972 के संशोधन के मद्देनजर यह एक **सांविधिक प्रावधान** है। यह प्रावधान सभी सीपीएसईज़ के सभी कर्मचारियों पर लागू है।

(ग) इसके अलावा, 01.01.2016 से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार का निर्णय, सीपीएसईज़ के कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे इन स्पष्टीकरणों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज़ (बैंकिंग एवं बीमा सैक्टर को छोड़कर) के ध्यान में लाएं ताकि इन पर कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक ।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों में वित्तीय सलाहकार ।
4. संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
5. संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
6. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव